अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2020 (RCMS 2020/00005) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 986464) बनाम अतिरक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और **कथन किया कि** उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.11.2019 के द्वारा अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर के से निम्न सूचना चाही थी:

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

> सादुलशहर उपखण्ड जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट दिनांक 599 दिनांक 03.05.2018 के सम्बन्ध में सूचना :
>
> 1. दस्तावेज दो पाई पेपर पर टाईप किया हुआ है जिसमें महेन्द्र छाबड़ा स्टाम्प वेण्डर द्वारा दिनांक 08.04.2000 को ... रूपये के स्टाम्प श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व. श्री ..... दास निवासी, 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर को जारी करने तथ्य अंकित है व उप पंजीयक श्रीगंगानगर कार्यालय में उपलब्ध है वसीयती निरस्तीकरण दस्तावेज है। रजिस्टर 25/2000 पर दर्ज है। स्टाम्प ले जाने वाले का नाम

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अंगूठा निशानी उद्देश्य व हस्ताक्षर के तथ्य पहचान के रूप में अंकित नहीं है।

इस बिन्दु पर स्टाम्प वेण्डर को नियम की मांग करने पर जो कार्यवाही जांच रिपोर्ट के आधार पर ..... ए

उपरोक्त बिन्दु पर कार्यवाही न किये जाने के नियम की सूचना व नियम की प्रमाणित प्रति।

3. उप पंजीयक श्रीगंगानगर ने उपरोक्त 30/– रूपये का मूल स्टाम्प उपलब्ध नहीं है जिसकी सुपाठ्य एवं फोटो प्रति होना विधि अनुसार अति आवश्यक है, अतः उक्त दस्तावेज प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है।

(क) इस बिन्दु में स्टाम्प वेण्डर श्री महेन्द्र छाबड़ा दोषी होने के उपरान्त उसके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के आदेश दिनांक 17.03.2019 को माननीय जिला कलक्टर द्वारा जारी होने के उपरांत एफ.आई.आर. जिस अधिनियम के अन्तर्गत न करवाने के आधार व नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

(ख) जांच रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज के प्रभाव शून्य माने जाने के नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति।

4. जांच रिपोर्ट दिनांक 03.05.2019 के बिन्दु संख्या 2 दिनांक 16.01.86 में यह अंकित किया है कि दिनांक 16.01.86 को गंगा देवी ने अपने लड़के राधेश्याम पुत्र श्री भगवान दास के हक में साईज 26' गुणा 30½' की वसीयत उपपंजीयक कार्यालय में निष्पादित व पंजीबद्ध करवायी थी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 11.04.2000 को वसीयत निरस्त्रीकरण दस्तावेज श्रीमती मोनिका देवी पत्नी भगवान दास, उम्र 85 वर्ष लिखवाकर दिनांक 11.04.2000 को उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर पाई पेपर पर टाईप करवाकर निष्पादित एवं पंजीबद्ध करवायी है। जिस पर अंगूठा निशानी पर नाम अंकित नही है व 30/– रूपये के स्टाम्प संलग्न नहीं है।

(3) दस्तावेज के प्रथम पृष्ठ पर दस्तावेज में बुक संख्या 111 में कॉलम संख्या 48 से पेज संख्या 445 से 450 हाथ से लिखे गये है।

(4) दस्तावेज पर चस्पा फोटो पर न तो उप पंजीयक की सील लगी है और ना ही हस्ताक्षर है।

वांछित सूचना : अंगूठा निशानी पर नाम अंकित होना आवश्यक होने के कारण न होने पर आप द्वारा इस बिन्दु पर की गई कार्यवाही की सूचना।

(3) कॉलम संख्या 48 से पेज संख्या 445 से 450 हाथ लिखे होने व समस्त तथ्य टाइप से किये जानेके उपरांत हाथ से लिखे जाने के आधार पर आप द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्यवाही की सूचना। कार्यवाही न करने के नियम की प्रमाणित प्रति।

(4) दस्तावेज पर चस्पा फोटो पर उप पंजीयक के हस्ताक्षर व सील न होने के कारण इस सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट के आधार पर इस बिन्दु पर आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व कार्यवाही न करने के नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

दिनांक 26.6.18 : श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई तत्कालीन उप पंजीयक श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 696 दिनांक 26.6.18 में अंकित किया है कि श्रीमती गंगा देवी के स्थान पर लिपिकीय भूल के कारण मोनिका देवी सहवन से लिखा गया है :

सहवन शब्द जिस दस्तावेज पर श्रीमती गंगा देवी के स्थान पर लिपिकीय भूल के कारण मोनिका देवी लिखा गया है, उस दस्तावेज की सूचना व प्रमाणित प्रति।

श्रीमती सुमित्रा देवी तत्कालीन उप पंजीयक के कथनानुसार जिस लिपिक द्वारा सहवन से गंगा देवी के स्थान पर मोनिका देवी लिखा गया है, उस लिपिक का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जांच रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 2 के बिन्दु संख 3.10.18 व 7.1.19 श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई के सहवन शब्द का खंडन

"इनके पश्चातवर्ती उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने राधेश्याम गोयल के सूचना के अधिकार अधिनियम का वांछित जवाब में दिनांक 3.10.18 पत्रांक 234 व दिनांक 7.1.19 पत्रांक 18 में यह अंकित किया है थ्क सहवन शब्द लिपिकीय भूल के कारण लिखा गया है

1. इस बिन्दु पर श्रीमान् द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. सुमित्रा बिश्नोई के सहवन शब्द को खंडित करने वाले उक्त शब्द पर सुमित्रा देवी के विरूद्ध कार्यवाही न करने के नियम की सूचना।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 799–801 दिनांक 03.12.2019 से अपीलार्थी द्वारा चाही चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर से होने के कारण मूल प्रार्थना पत्र उन्हे स्थानान्तरित किया जा चुका है। प्रार्थी वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर के समक्ष चाराजोही कर सकता है और लोक सूचना अधिकारी के आदेश से अप्रसन्नता की दशा में नियमानुसार अपील करने के लिए स्वतन्त्र है। यह से अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील **उक्तानुसार** निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर